दिनांक 13.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 17/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–भारत नेपाल सीमा पर कूटरचित विशेष परमिटों के माध्यम से अवैध रूप से अंर्तराष्ट्रीय बस संचालन करने वाले गैंग के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 12/13–10–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को भारत नेपाल सीमा पर कूटरचित विशेष परमिटों के माध्यम से अवैध रूप से अंर्तराष्ट्रीय बस संचालन करने वाले 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– राम प्रसाद पुत्र शेष कान्त लम्सल निवासी आरजेड– 49 सी, सेकन्ड फलोर फ्लैट नं0 2, गली नं0 8 जनकपुरी, थाना सागरपुर नई दिल्ली।

2– बाले थापा उर्फ बालकिशन पुत्र जीत बहादुर थापा निवासी पी0डब्ल्यू0डी0 कालोनी कोहिमा नागालैंड।

बरामदगी–

1– 11 अदद कूट रचित भारत–नेपाल यात्रा परमिट।

2– 01 अदद लैपटाप।

3– 01 अदद बस टाटा मोटर्स नं0 यू0पी081सीटी4920

4– 03 अदद मोबाइल फोन। (सिम कार्ड सहित)

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–

अभियुक्त राम प्रसाद को बागवानी भवन के गेट के पास थाना–सागरपुर नई दिल्ली दिनांक 12/13–10–2025 की रात्रि समय करीब 12.15 बजे तथा चालक बाले थापा उर्फ बालकिशन को किसान पथ लखनऊ से हिरासत में लिया गया।

भारत–नेपाल सीमा पर कूटरचित विशेष परमिटों के माध्यम से अवैध रूप से अंर्तराष्ट्रीय बस संचालन होने के सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा थाना बन्नादेवी, जनपद–अलीगढ़ में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के पत्र द्वारा उक्त प्रकरण की जॉच कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई हेतु श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण मे जॉच प्रारम्भ कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि वाहन सं0 यूपी 81 सीटी 4920 के संचालक द्वारा कूटरचित परमिट तैयार कर भारत नेपाल के मध्य अवैध रूप से अंर्तराष्ट्रीय बस संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में धरातलीय सूचनाओं का संकलन करने के लिये निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में मु0आ0 विनोद सिंह, मु0आ0 रणधीर सिंह, मु0आ0 प्रशान्त सिंह, मु0आ0 शेरबहादुर की एक टीम दिल्ली में मौजूद थी। इस दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त बस का संचालन राम प्रसाद निवासी गली नं0 8 सागरपुर जनकपुरी नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 12/13–10–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा सागरपुर नई दिल्ली से राम प्रसाद उपरोक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 07 अदद कूटरचित भारत नेपाल यात्रा परमिट तथा कूटरचना में प्रयुक्त लैपटाप तथा मोबाईल फोन आदि बरामद किया गया। राम प्रसाद से पूछताछ के आधार पर

निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह की टीम द्वारा भरत नेपाल सोनौली बार्डर की ओर जा रही बस सं0 यूपी 81 सीटी 4920 को किसान पथ लखनऊ के पास से कब्जे में लेकर पूछताछ हेतु चालक को हिरासत में लिया गया।

चाचा–चाची ट्रेवेल्स के नाम से टूर एवं ट्रेवेल एजेन्सी चला रहे राम प्रसाद उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैंने फरवरी 2024 में कन्नू ट्रैवेल्स से सेकेन्ड हैन्ड बस सं0 यूपी 81 सीटी 4920 अपनी पत्नी उषा के नाम खरीदा था। जिसका संचालन मेरे द्वारा किया जाता है। बस को ड्राईवर बाले थापा उर्फ बालकिशन चलाता है। फर्जी स्पेशल परमिट के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि दिल्ली–नेपाल के बीच में काफी संख्या में यात्रियों की बुकिंग मिलती है परन्तु एम्बेसी अथवा कान्सुलेट से जारी परमिट की प्रक्रिया में काफी औपचारिकताएं एवं कठोर नियम होने तथा परमिट जारी होने में अधिक समय लगता है। इसलिये हम लोग आरटीओ द्वारा जारी परमिट में कूटरचना करके नेपाल रूट को जोड़ कर पीडीएफ तैयार कर लेते है। इस पूरे फर्जीवाडे में मैं, मेरा बेटा मिलन शर्मा उर्फ सरोज तथा ड्राईवर बाले थापा उर्फ बालकिशन ही शामिल है। उपरोक्त वाहन बस सं0 यूपी81सीटी4920 संभागीय परिवहन कार्यालय अलीगढ़ में पंजीकृत है।

अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जायेगा।

सहायक सम्भागीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा थाना बन्नादेवी, जनपद–अलीगढ़ में पूर्व से पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0 508/2025 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बी0एन0एस0 में गिरफ्तार अभियुक्तों को दाखिल किया गया है। अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।

एस0टीएफ0–जनपद लखनऊ से रू0 50,000 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिव शर्मा पटना सिटी (बिहार) से गिरफ्तार।

दिनांक 13–10–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 321/2025 धारा 109, 115(2), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त शिव शर्मा को पटना सिटी (बिहार) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

शिवा शर्मा पुत्र स्व0 नीरज शर्मा नि0 सी–40 सेक्टर एफ, अलीगंज, थाना अलीगंज, लखनऊ।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

मेदान्ता अस्पताल के बाहर थानाक्षेत्र कंकड बाघ पटना सिटी बिहार दिनांक 12–10–2025 समय करीब 11:20 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत दिनो फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि थानाक्षेत्र विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ स्थित टिंकल पिंक क्लब में दिनांक 30–08–2025 को हुई दिनदहाड़े फयरिंग की घटना में वांछित अभि0 शिव शर्मा के गिरफ्तारी हेतु रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित है। जो पटना बिहार में अपने किसी रिश्तेदार के यहा छिपकर रह रहा है।

प्राप्त सूचना पर उ0नि0 श्री जावेद आलम सिददीकी, मुख्य आरक्षी मृत्यंजय सिंह, मुख्य आरक्षी कवीन्द्र साहनी, मु0आ0 वीर प्रताप व आ0 चालक शिववीर एस0टी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ की एक टीम पटना सिटी बिहार पहुॅची जहॉ पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शिव शर्मा मेदान्ता अस्पताल पटना बिहार में किसी मरीज को देखने जाने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा मेदान्ता अस्पताल थाना क्षेत्र कंकड बाघ पटना सिटी बिहार के पास से अभियुक्त शिव शर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिव शर्मा उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि उसके विरूद्व थाना विभूति खण्ड, लखनऊ में मु0अ0सं0 321/2025 धारा– 109/115(2)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस में पंजीकृत हुआ था जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ननिहाल पटना सिटी बिहार में छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त शिव शर्मा को थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ लाकर सक्षम न्यायालय के समक्ष आज दिनांक 13–10–2025 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा सम्पादित की जायेगी।

जनपद मेरठ/थाना सरूरपुर

●पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत

●01 मोबाइल फोन

●01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)

●01 पिस्टल 32 बोर मय 02 जीवित, 06 खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 13.10.2025 को थाना सरूरपुर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरधना बिनौली रोड पर जोड़ा पियाऊ से ग्राम सरूरपुर वाले रास्ते पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शहजाद उर्फ निक्की घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 पिस्टल 32 बोर मय 02 जीवित, 06 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहॉ पर चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त शहजाद उर्फ निक्की को मृत घोषित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त थाना बहसूमा का हिस्ट्रीशीटर अपराधी था, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों पर चोरी, छेड़खानी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बहसूमा जनपद मेरठ पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1–शहजाद उर्फ निक्की निवासी मोहम्मदपुर शकिस्त थाना बहसूमा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 मोबाइल फोन।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

3–01 पिस्टल 32 बोर मय 02 जीवित, 06 खोखा कारतूस ।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी

● चोरी की घटना का अनावरण

● पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी के विद्युत ट्रांसफार्मर के सामान

● नगद रूपये

● 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

● घटना में प्रयुक्त 02 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 12.10.2025 को थाना तितावी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पानीपत–खटीमा मार्ग पर शेरा पंजाबी ढाबे के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आरिफ उर्फ पिर्री 2–राशिद उर्फ पप्पू 3–समीर उर्फ शहजाद 4–अरशद घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 5–सोनू उर्फ अजीत 6–जानू उर्फ जान मोहम्मद सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया एवं दो अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के विद्युत ट्रांसफार्मर के सामान, नगद रूपये, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना तितावी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आरिफ उर्फ पिर्री के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, विद्युत अधिनियम गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग, अभियुक्त राशिद उर्फ पप्पू के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, विद्युत अधिनियम गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 35 अभियोग, अभियुक्त समीर उर्फ शहजाद के विरूद्ध जनपद शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 41 अभियोग, अभियुक्त अरशद के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, विद्युत अधिनियम, आईटी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त सोनू उर्फ अजीत के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, विद्युत

अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त जानू उर्फ जान मोहम्मद के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, विद्युत अधिनियम, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आरिफ उर्फ पिर्री निवासी खारी कुँआ कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ।

2–राशिद उर्फ पप्पू निवासी बूढाबाबू कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ।

3–समीर उर्फ शहजाद निवासी अशोक बिहार थाना लोनी ग्रामीण कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–अरशद निवासी शेखपुरी थाना जानी जनपद मेरठ।

5–सोनू उर्फ अजीत निवासी सन्तपुरा गोविन्दपुरी मोदीनगर।

6–जानू उर्फ जान मोहम्मद निवासी किदवईनगर, मोदीनगर ग्रामीण कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के विद्युत ट्रांसफार्मर के सामान।

2–नगद रूपये।

3–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 कार, 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना पचोखरा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 12.10.2025 को थाना पचोखरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–गौरव 2–गुड्डू 3–राजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पचोखरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गौरव निवासी एटा रोड़ शिवनगर जनपद फिरोजाबाद।

2–गुड्डू निवासी मोहमदी थाना रजावली जनपद फिरोजाबाद।

3–राजा निवासी मोहमदी थाना रजावली जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद अयोध्या/थाना इनायतनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 91 किलो 953 ग्राम अवैध गांजा**
- **अवैध गांजा ब्रिकी के 09 हजार 50 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **02 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनॉकः 13.10.2025 को थाना इनायतनगर व एन्टी थेफ्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नगरहन का पुरवा स्थित पुलिया से अभियुक्त सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 91 किलो 953 ग्राम अवैध गांजा, अवैध गांजा ब्रिकी के 09 हजार 50 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त कार, 02 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना इनायतनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू कुमार निवासी पूरे बंजरिया, शाहाबाद ग्रन्ट थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 91 किलो 953 ग्राम अवैध गांजा।

2—माल ब्रिकी के 09 हजार 50 रूपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त कार।

5—02 फर्जी नम्बर प्लेट आदि।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना जहाँगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना जहाँगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—हिमांशु 2—आदेश 3—कौशिन्द्र को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————